न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मोहन सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **90/02 (वाद)**

1. श्री नाहरसिंह पिता सवसिंह राव राजपुत निवासी मादडी आसोलियान तह. मावली।
2. श्री चतरसिंह पिता सवसिंह राव राजपुत निवासी मादडी आसोलियान तह. मावली।
3. श्री खुमाणसिंह पिता सवसिंह राव राजपुत निवासी मादडी आसोलियान तह. मावली।
4. श्री प्रतापसिंह पिता सवसिंह राव राजपुत निवासी मादडी आसोलियान तह. मावली।
5. श्री भवानीसिंह पिता सवसिंह राव राजपुत निवासी मादडी आसोलियान तह. मावली।
6. श्री मानसिंह पिता सवसिंह राव राजपुत निवासी मादडी आसोलियान तह. मावली।
7. श्री धुलसिंह पिता माधुसिंह राव राजपुत निवासी मादडी आसोलियान तह. मावली (मृतक) के बजाय :–

7/1 श्री गोविन्दसिंह पुत्र
7/2 श्रीमती वसन कुंवर पुत्रवधु
7/3 श्री इन्द्रसिंह पुत्र
7/4 श्री देवीसिंह पुत्र
7/5 श्री हरिसिंह पुत्र
7/6 फुलवन्ती कुंवर पुत्री
7/7 राजुबाई पुत्री

8. श्री मनोहरसिंह पिता अर्जुनसिंह राव राजपुत मृतक के बजाय :–

8/1 श्री किशनसिंह पुत्र
8/2 श्रीमती पुष्पाबाई पत्नी स्व. श्री मदनसिंह पुत्र वधु
8/3 शैलेन्द्रसिंह पुत्र स्व. मदनसिंह पोत्र
8/4 श्रीमती ताराकुंवर पत्नी हिम्मतसिंह राजपुत निवासी संतढुंढिया तहसील गंगापुर पोत्री
8/5 श्रीमती सुशीला कुमारी पत्नी महेन्द्रसिंह राजपुत निवासी नानाणा तह. जवाली जिला पाली पोत्री।
8/6 सुश्री चिकु कुंवर पुत्री मदनसिंह पोत्री नाबालिग
8/7 श्री रायसिंह पिता मनोहरसिंह पुत्र
8/8 श्रीमती दरियाकुंवर पत्नी बाघसिंह निवासी बीडघास तह. मावली पुत्री

9. श्री सज्जनसिंह पिता जयसिंह राव राजपुत मृतक के बजाय :–

9/1 श्री नरपतसिंह पुत्र
9/2 श्रीमती राजबाई विधवा
9/3 रूकमण कुंवर
9/4 वनकुंवर
9/5 लीलाकुंवर

10. श्री मानसिंह पिता जयसिंह राजपुत सभी निवासीयान मादडी आसोलियान तह. मावली।

...........वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर उदयपुर।
2. राजकीय माध्यमिक विद्यालय मादडी आसोलियान जरिये प्रधानाध्यापक रा.मा. वि. मादडी आसोलियान तह. मावली।
3. श्री सुरजसिंह पिता कालुसिंह राव राजपुत निवासी मादडी आसोलियान तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित—1. श्री पन्नालाल मारू, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री मदनलाल त्रिपाठी, राजपेरोकार, मावली।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 16.09.2019

1. वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मादडी आसोलियान पटवार क्षेत्र बोयणा तह. मावली में कृषि आराजी सं. 403 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा लगानी 1.03 रूपया स्थित हैं, जो वर्तमान राजस्व अभिलेखों में वादीं सं. 1 से 6 के नाम 1/4 हिस्सा, वादी सं. 7 के नाम 1/4 हिस्सा, वादी सं. 8 के नाम 1/4 हिस्सा, एवं वादी सं. 9—10 के नाम 1/4 हिस्सा के अनुसार अंकित हैं।
2. ग्राम मादडी आसोलियान का गत सेटलमेन्ट सम्वत् 2023 में हुआ।
3. उपरोक्त कलम सं. 1 में वर्णित आराजी सं. 403 का गत सेटलमेन्ट में आराजी सं. 445 था एवं गत सेटलमेन्ट के आराजी नम्बर 445 का रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा था, जिसका नये नाम (वर्तमान सेटलमेन्ट) के अनुसार 7 बीघा 15 बिस्वा होना चाहिए था किन्तु सेवहन से 7 बीघा 15 बिस्वा के बजाय वर्तमान सेटलमेन्ट में 5 बीघा 15 बिस्वा अंकित हो गया एवं शेष 2 बीघा वादीपक्ष के बजाय बिला नाम अंकित कर दिया गया।
4. गत सेटलमेन्ट में जरीब का नाप 152.5 फीट था एवं वर्तमान सेटलमेन्ट जरीब का नाप 132 फीट है। जिससे गत सेटलमेन्ट के 5 बीघा 17 बिस्वा का नया नाप 7 बीघा 15 बिस्वा बनता हैं।
5. गत सेटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट कर्मचारियों की गलती से वादीपक्ष के नाम 7 बीघा 15 बिस्वा रकबा अंकित होने के बजाय 5 बीघा 15 बिस्वा अंकित हो पाया शेष 2 बीघा रकबा बिला नाम अंकित हो गया जिससे वादीपक्ष द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर वल्लभनगर में इन्द्राज दुरस्ती बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया जिसके मु.न. 284/74 होकर उक्त वाद में दिनांक 25.11.76 को हाल आराजी

नम्बर 404 व 868 में से 2 बीघा भूमि वादीपक्ष के नाम अंकित किये जाने का आदेश दिया गया।

6. उक्त आदेश दिनांक 25.11.76 की पालना में लम्बें समय तक राजस्व अभिलेखों में अंकन नहीं किया गया यद्यपि इस बाबत् वादीपक्ष द्वारा काफी प्रयास किया गया फिर भी उक्त 2 बीघा भूमि वादीपक्ष के नाम अंकित नहीं हो पाई।

7. वादीपक्ष द्वारा उसके खातेदारी एवं आधिपत्य की शेष 2 बीघा भूमि को वादीपक्ष के नाम अंकित कराया जाने हेतु प्रयार किया ही जा रहा था कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में दिनांक 12.03.92 को आराजी न. 404 मीन रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 808 मीन रकबा 10 बीघा किता 2 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा भूमि का आवंटन कर दिया गया। किन्तु उक्त आदेश की पालना में आराजी नम्बर 808 मीन के बजाय आराजी नम्बर 868 प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में अंकित कर दिया गया। विदित रहे कि प्रतिवादी सं. 2 को आराजी नम्बर 868 का आवंटन आदेश किया ही नहीं गया था। इस कारण बिना किसी आदेश के आराजी नम्बर 808 मीन के सीान पर आराजी नम्बर 868 को प्रतिवादी सं. 2 के नाम अंकित किया ही नहीं जा सकता है।

8. वास्तव में वादीपक्ष का आधिपत्य वर्तमान नाप के अनुसार आराजी नम्बर 403, 404 मीन एवं 868 के 7 बीघा 15 बिस्वा पर है एवं वादीपक्ष नये नाप के अनुसार आराजी नम्बर 403, 404 एवं 468 के 7 बीघा 15 बिस्वा के खातेदार काश्तकार है, किन्तु आराजी नम्बर 404 मीन एवं 868 की भूमि प्रतिवादी सं. 2 के नाम अंकित हो जाने से प्रतिवादीगण वादीपक्ष को उसके खातेदारी व आधिपत्य की 2 बीघा भूमि से जबरन बेदखल करने पर उतारू है। इसके लिए प्रतिवादी सं. 3 अपने आप को सर्व सर्कमति माध्यमिक विद्यालय आसोलियान की मादडी का अध्यक्ष बताता है एवं तीनो ही प्रतिवादीगण वादीपक्ष को उसके आधिपत्य की 2 बीघा भूमि से बेदखल करने पर उतारू हैं।

9. वादीपक्ष की खातेदारी एवं आधिपत्य की आराजी नम्बर 404 मीन एवं 868 की 2 बीघा भूमि वादीपक्ष के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित नहीं हो पाने से वादीपक्ष द्वारा घोषणा हेतु यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है एवं वादी सं. 1 से 6 का 1/4 हिस्सा, वादी सं. 7 का 1/4 हिस्सा, वादी सं. 8 का 1/4 हिस्सा एवं वादी सं. 9 – 10 का 1/4 हिस्सा के अनुसार घोषणा कराने के अधिकारी है।

10. प्रतिवादीगण वादीपक्ष को यह धमकिया दे रहे है कि वे शारीरिक बल एवं कानुन को अपने हाथ में लेकर वादीपक्ष को जबरन बेदखल करके रहेगे और इसके

लिए प्रतिवादी सं. 3 उसके पक्ष में नाजायज लाभ प्राप्त करने के उदेश्य से प्रतिवादी सं. 1 से 2 को उकसा रहा है। जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

11. अतः निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री प्रदान कराई जावें कि यह आराजी नम्बर 404 मीन एवं 868 में से 2 बीघा भूमि कमी की जाकर इसे आराजी नम्बर 403 में मिलाया जाकर आराजी नम्बर 403 का रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा घोषित किया जावें एवं राजस्व अभिलेखों में वादी सं. 1 से 6 के नाम 1/4 हिस्सा, वादी सं. 7 के नाम 1/4 हिस्सा, वादी सं. 8 के नाम 1/4 हिस्सा एवं वादी सं. 9 – 10 के नाम 1/4 हिस्सा अंकित की जावें। स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावें कि प्रतिवादीगण वादी के आधिपत्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें न वादीगण के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा करे, न उक्त आराजी में प्रवेश करे, न ही इस प्रकार के कृत्य किसी भी अन्य व्यक्ति से ही करावें।

12. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम सं. 4 गलत है। केवल यह स्वीकार है कि गत सेटलमेन्ट में डोरी (जरीफ) 152 फीट एवं वर्तमान सेटलमेन्ट हुआ उसकी जरीफ 132 फीट होना स्वीकार है, बाकि ईबारत स्वीकार नहीं। पांच बीघा सत्रह बिस्वा का सात बीघा पन्द्रह बिस्वा नहीं बनता है, केवल सात बीघा ही बनता हैं।

13. वाद पत्र की कलम सं. 5 का जवाब यह है कि मिसल न. 294 सन् 74 में निर्णय दिनांक 25.11.76 को होना बता रहा है और उसमें आराजी नम्बर 404 व 868 में से 2 बीघा जमीन बिलानाम दर्ज करने का वादीगण बता रहे है यह कहीं स्वष्ट नहीं है कि आराजी नम्बर 404 में से कितना रकबा व 868 में से कितना रकबा कट कर बिलानाम दर्ज किया गया ऐसा कोई स्पष्ट वाद पत्र में अंकन नहीं है जिससे यह नहीं कहा जा सकता है कि आ. न. 404 व 868 में से किस आराजी में से 2 बीघा जमीन की कमी होकर बिलानाम दर्ज हुई है। वैसे भी पांच बीघा सत्रह बिस्वा का 7 बीघा 15 बिस्वा नहीं बनता है यह अपने आप में विरोधाभास है, वादी द्वारा जिस मुकदमें का अंकन किया जा रहा है वह मुकदमा कानून की दृष्टि से कोई मुकदमा सही नहीं है क्योंकि जिन व्यक्तियों द्वारा यह दावा किया वे न तो खातेदार थे और न ही हम प्रतिवादीगण के मुकाबले यह मामला निर्णित हुआ हम उसमें पक्षकार नहीं थे इसलिए ऐसे निर्णय कानूनी दृष्टि से एब

इनिसीयों वोइट है। यहां तक कि उक्त पत्रावली में भी न्यायालय द्वारा पेन्टोग्राफ नक्शा पेश करने का आदेश हुआ था उसमें न्यायालय द्वारा चाहा गया कि आराजी नम्बर 404 में से कितनी और 868 में से कितनी भूमि कटी है या कम हुई है उसका स्पष्ट अंकन करावें व उसका पेन्टोग्राफ पेश करें उसकी कोई पालना नहीं की गई एवं न्यायालय को अंधेरे में रख कर गलत डिक्री प्राप्त की गई ऐसी गलत डिक्री प्राप्त करने से वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।

14. वाद पत्र की कलम सं. 6 गलत है। वादीगण ने उक्त फैसले की कोई पालना नहीं करवाई न इसके संबंध में कोई कार्यवाही ही की गई। कोई भी डिक्री जिसका पालना 12 वर्ष के अन्तर्गत नहीं हो वह अपने आप ही खत्म हो जाती है उसका 12 वर्ष के बाद किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं रहता है इस मुकदमें में भी वादीगण द्वारा डिक्री प्राप्त की गई एवं 2002 तक कोई कार्यवाही अमल में नही लाई गई इसलिए यह डिक्री अपने आप में बेअसर है व कानून किसी भी प्रकार की वादीगण को मदद नहीं करता हैं।

15. वाद पत्र की कलम सं. 7 गलत है। वादीगण ने कोई प्रयास नहीं किए। प्रतिवादीगण सं. 2 के पक्ष में दिनांक 12.03.92 को आराजी नम्बर 404 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 868 रकबा 10 बीघा किता 2 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्कूल मैदान के लिए आवंटित की गई। केवल सेवहन से 868 के बजाय 808 टंकण हो गया जो कि एक क्लेरिकल मिस्टेक से हुआ किन्तु मौके पर प्रतिवादी सं. 2 द्वारा भूमि एलोटमेन्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया उसमें आराजी नम्बर 868 का वर्णन है एवं उसी आधार पर पटवारी हल्का बोयणा ने बसामलाल मौतबीरान के दिनांक 29.10.91 को पर्चा मौका बनाया उसमें स्वंय नाहरसिंह, धुलसिंह, इन्दरसिंह के हस्ताक्षर थें जो इस वाद में प्रतिवादीगण सं. 1, 7 है, और इन्दरसिंह प्रतिवादी सं. 7 का लडका है। जब पर्चा मौका बनाया उस समय गांव के मौतबीरान उपस्थित थे उनकी उपस्थिति में पर्चा मौका बनाया और उसमें यह बताया कि ग्रामवासियों ने यह खेल का मैदान हमने तो स्कूल को पूर्व में ही सौंप रखा है ग्रामवासीयान को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है भूमि पर किसी का कब्जा नहीं है मौके पर खुली पडी हुई है सिर्फ बालक ही खेलते है किसी को कोई एतराज या आक्षेप नहीं हैं ऐसा स्पष्ट अंकन किया हुआ है, अगर वादीगण का कोई कब्जा हक या स्वामित्व होता तो इस पर्चें मौके के विरूद्व कार्यवाही करतें। स्वयं वादीगण सं. 1 व 7 के हस्ताक्षर है एवं वादीगण

सं. 7 के लडके के भी हस्ताक्षर है इससे स्पष्ट है कि मौके पर वादीगण का कोई कब्जा नहीं है कब्जा प्रतिवादीगण सं. 2 का है। वे इस कथन से भी स्टोपल है। केवल क्लेरिकल मिस्टेक के आधार पर वादीगण इसका कोई फायदा नहीं ले सकते हैं।

16. वाद पत्र की कलम सं. 8 का जवाब यह है कि वादीगण का आराजी न. 404 व 868 जो प्रतिवादी सं. 2 के नाम पर है उस पर कोई कब्जा नहीं है वादीगण के खाते में आराजी नं. 403 बता रखी है उसमें खाते के अलावा भी तीन बीघा जमीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है एवं वर्तमान में वादीगण के आधिपत्य में है, वादीगण के कब्जे जितनी जमीन चाही जा रही है वह पूरी उनके कब्जे में है महज प्रतिवादी सं. 2 की जमीन हडपने के लिए यह गलत वाद पत्र प्रस्तुत किया है प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 कोई जबरदस्ती बेदखल करने का जो कथन वादीगण कर रहे है वह गलत है वादीगण का कोई कब्जा ही नहीं है तो बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वादीगण ने सूरजसिंह को संघर्ष समिति का अध्यक्ष बनाया यह पूरे गांव के सभी मौतबीरान द्वारा बनाया गया जो संस्था रजिस्टर्ड है, विद्यालय के विकास हेतु बनाई हुई है वही इसका अध्यक्ष है जो कानूनन है और उसको कानूनन स्कूल के हित की रक्षा करने का अधिकार हैं।

17. वाद पत्र की कलम सं. 9 गलत है। वादीगण की कोई जमीन 2 बीघा नहीं है न 2 बीघा बनती है। इसलिए आराजी नम्बर 403 व उसके पास की जमीन पर नाजायज कब्जा अधिक जमीन पर कर रखा है इसलिए कुठाराघात होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है न ही वादीगण को किसी प्रकार का कोई नुकसान ही हो रहा है सारा कथन गलत व बैबुनियाद हैं।

18. वाद पत्र की कलम सं. 10 गलत है। वादीगण की कोई भूमि 2 बीघा आराजी नम्बर 404 मी. व 868 में नहीं है। वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कराने का कोई अधिकार नहीं है न ही खातेदारी अधिकार पा सकते है।

19. विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण जिस मुकदमें का सहारा लेकर के आ रहे है जिसका फैसला दिनांक 25.11.76 को होना बता रहे है वह फैसला अपने आप में बिना क्षैत्राधिकार के दिया गया है। धारा 136 राज.टि.एक्ट. के परव्यु में वह मामला नहीं आता फिर भी उसको फैसला दे दिया गया बिना क्षैत्राधिकार के कोई फेसला होता है तो वह कानूनन वोइड एब इनिसियों होता है इसमें भी यही बात बताई गई है इसलिए यह फैसला भी एक सब इनिसियों हैं।

20. उक्त मुकदमें में जिसका फेसला 76 में होना बता रहे हैं उसमें न तो वादीगण द्वारा दावा पेश कर फेसला कराया गया न ही खातेदार थे उन्होनें कुछ नहीं किया अन्य व्यक्तियों द्वारा पेश किया गया उन्हे कोई अधिकार नहीं है एवं जो अपील पेश की गई। जिसके मुकदमा नम्बर 123/2001 है जिसका फेसला 21.03.2002 को हुआ उसमें भी खातेदार द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई, इन्दरसिंह द्वारा प्रस्तुत की गई जब कि इन्दरसिंह कोई खातेदार नहीं है और अपील न्यायालय ने इन्ही बिन्दुओं को मध्यनजर रखते हुए अपील खारीज की।

21. दिनांक 25.11.76 के आदेश की पालना आज दिन तक नहीं कराई इसलिए भी अब उस फैसले की कोई मान्यता नहीं है एवं उस फेसले के आधार पर वादीगण कोई रिलिफ प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

22. वादी ने अपने वाद में की भी यह अंकन नहीं किया है कि दावा मयाद के अन्दर है, प्रतिवादीगण का निवेदन है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मयाद के बाहर हैं।

23. प्रतिवादीगण के कब्जेसुदा आराजी में वादीगण आए दिन हस्तक्षेप कर कब्जा करने की कोशिश कर रहे है इसलिए इनको अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक है इसी आड में वादीगण ने प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 व गांव के मौतबीरान को कई मुकदमों में फसाया है व फसाते आ रहे है व झगडा करने की फिराक में है इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद कराया जाना आवश्यक है इसलिए प्रतिवादीगण सं. 2 के खातेदारी अधिकार व आधिपत्य की भूमि आ. न. 404 व 868 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करें बाधा उत्पन्न नहीं करें इस तरह की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावें। उचित कोर्ट फीस इस हेतु पेश हैं।

24. वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं. 2 जो एक राजकीय संस्था है और उसे नोटिस देना आवश्यक है उसको कोई नोटिस नहीं दिया गया इसलिए भी वाद चलने योग्य नहीं है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादीगण का वाद मय खर्चा खारीज फरमाया जावें।

25. वादी द्वारा वाद पत्र के साथ दस्तावेजात रजिस्टर्ड नोटिस प्रदर्श 1, पोस्टल रसीद प्रदर्श 2, एडी रसीद प्रदर्श 3, जमाबन्दी नकल प्रदर्श 4, खसरा परिवर्तनशील प्रदर्श 5, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 6, जमाबन्दी नकल प्रदर्श 7, आवंटन आदेश प्रदर्श 8, पटवारी रिपोर्ट प्रदर्श 9, निर्णय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर प्रदर्श 10, पटवारी रिपोर्ट प्रदर्श 11, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 12, नक्शा ट्रेस मेवाड सेटलमेन्ट प्रदर्श 13, नजरी नक्शा प्रदर्श 14, आवेदन पत्र आवंटन प्रदर्श 15,

आवंटन आदेश जिला कलक्टर प्रदर्श 16, जमाबन्दी मेवाड सेटलमेन्ट प्रदर्श 17 व 18, जमाबन्दी संवत् 2012 से 2015 प्रदर्श 19, मिलान खसरा प्रदर्श 20 से 23, सेटलमेन्ट विभाग में नकल का आवेदन प्रदर्श 24, नक्शा एनलार्ज पेन्टोग्राफ प्रदर्श 25 पेश की गई है।

26. प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु निम्न तनकीयात कायम की गई :–

1. आया वाद की कलम सं. 1 में वर्णित आराजी सं. 403 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में वादी सं. 1 से 6 के नाम 1/4 हिस्सा, वादी सं. 7 के नाम 1/4 हिस्सा एवं वादी सं. 9, 10 के नाम 1/4 हिस्सा के अनुसार अंकित हैं एवं आया इसी प्रकार हिस्सा 1/4 वादी सं. 8 के नाम दर्ज हैं। ....बजिम्मे वादी
2. आया आराजी नम्बर 403 का गत सेटलमेन्ट में नम्बर 445 होकर गत रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा था जिसका नया नाप वर्तमान सेटलमेन्ट में 7 बीघा 15 बिस्वा बना, किन्तु सेवहन से वादीगण के नाम 2 बीघा कम दर्ज हुआ।....वादी
3. आया वादीगण के पक्ष में प्रकरण सं. 284/74 वाद में दिनांक 25.11.76 को 2 बीघा भूमि वादीगण के नाम अंकित करने का आदेश दिया। ....वादी
4. आया प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में आराजी नम्बर 808 के बजाय 10 बीघा भूमि आराजी नम्बर 868 की गलत प्रकार से अंकित कर दी गई। ......वादी
5. आया वादीगण का आधिपत्य नम्बर 403, 404 व 868 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा पर होने से वे इसे अपने नाम घोषित कराने के अधिकारी हैं। ...वादी
6. आया प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जे में बाधा उत्पन्न किया जाने से वादीगण निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। ......वादीगण
7. आया वाद मियाद बाहर हैं। ....प्रतिवादीगण
8. आया दिनांक 25.11.1976 का फैसला एबईनिशियों वॉईड हैं। ....प्रतिवादीगण

27. प्रकरण में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू–1 श्री प्रतापसिंह, पीडब्ल्यू 2 श्री बदनसिंह, पीडब्ल्यू 3 श्री भीमसिंह के बयान कलमबद्व करायें। प्रतिवादी द्वारा अपने साक्ष्य में डीडब्ल्यू 1 श्री पन्नालाल पटवारी, डीडब्ल्यू 2 श्री सूरजसिंह, डीडब्ल्यू 3 श्री धर्मनारायण प्रधानाध्यापक, डीडब्ल्यू 4 श्री लक्ष्मणसिंह के बयान कलमबद्व करायें।

28. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को सूना गया। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा लिखित बहस मय नजीर RRD 1983 Page 64, RRD 1983 Page 364, RRD 1998 Page 261 प्रस्तुत कर वादीगण का वाद स्वीकार किया

जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता राजपेरोकार द्वारा प्रकरण में लिखित बहस मय नजीर RRD 1990 Page 441, 460, RRD 1992 Page 17, 337, RRD 1993 Page 401, RRD 1956 Page 262, AIR 1969 Page 255, Civil Times SC 2001 Page 244 प्रस्तुत कर वादीगण का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया।

29. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की लिखित बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत नजीरों का सद्भावनापूर्वक अवलोकन किया। न्याय निर्णयन हेतु तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :—

1. आया वाद की कलम सं. 1 में वर्णित आराजी सं. 403 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में वादी सं. 1 से 6 के नाम 1/4 हिस्सा, वादी सं. 7 के नाम 1/4 हिस्सा एवं वादी सं. 9, 10 के नाम 1/4 हिस्सा के अनुसार अंकित हैं एवं आया इसी प्रकार हिस्सा 1/4 वादी सं. 8 के नाम दर्ज हैं।

   उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर रहा। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में वर्तमान जमाबन्दी प्रस्तुत की जो प्रदर्श 4 हैं के अवलोकन से आराजी नम्बर 403 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि वादीगण के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। उक्त दस्तावेज अनुसार उक्त भूमि वादीगण के नाम दर्ज होकर वादीगण खातेदार काश्तकार हैं। उक्त तनकी को वादीगण अपने पक्ष में साबित कराने में सफल रहे हैं। उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

2. आया आराजी नम्बर 403 का गत सेटलमेन्ट में नम्बर 445 होकर गत रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा था जिसका नया नाप वर्तमान सेटलमेन्ट में 7 बीघा 15 बिस्वा बना, किन्तु सेवहन से वादीगण के नाम 2 बीघा कम दर्ज हुआ।

   उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर रहा। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श 17, प्रदर्श 18 व प्रदर्श 19 अनुसार आराजी नम्बर 445 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा वादीगण के मौरूस के नाम पर अंकन हैं। इसी अनुसार दस्तावेज प्रदर्श 20 मिलान खसरा अनुसार वर्तमान आराजी नम्बर 403 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि का गत भू माप नम्बर 445 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा भूमि वादीगण के मौरूस व वादीगण के नाम होने का स्पष्ट अंकन हैं। परन्तु उक्त सभी दस्तावेजों के आधार पर यह कही प्रतीत नहीं होता है कि आराजी नम्बर 445 के नये

नम्बर 403 के अलावा कौनसे बनें। जिससे यह साबित हो सके की 2 बीघा अधिक भूमि कौनसें आराजी नम्बर में शामिल हुई। उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में आंशिक स्वीकार की जाती हैं।

3. आया वादीगण के पक्ष में प्रकरण सं. 284/74 वाद में दिनांक 25.11.76 को 2 बीघा भूमि वादीगण के नाम अंकित करने का आदेश दिया।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर रहा। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में उप जिलाधीश वल्लभनगर के प्रकरण सं. 284/74 निर्णय दिनांक 25.11.76 की प्रति प्रस्तुत की जो प्रदर्श 10 हैं के अवलोकन से प्रार्थी का इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर 2 बीघा भूमि को प्रार्थी के नाम दर्ज किये जाने का आदेश देना स्पष्ट हैं। अतः उक्त तनकी को वादीगण अपने पक्ष में निर्णित कराने में सफल रहे हैं। अतः उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

4. आया प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में आराजी नम्बर 808 के बजाय 10 बीघा भूमि आराजी नम्बर 868 की गलत प्रकार से अंकित कर दी गई।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर रहा। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज आवेदन पत्र प्रदर्श 15, आवंटन आदेश प्रदर्श 16 प्रस्तुत किये, जिसके अवलोकन से विद्यालय द्वारा भूमि आंवटन हेतु खसरा नम्बर 404 मी. रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 868 मी. रकबा 10 बीघा भूमि आवंटन कराये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। परन्तु जिला कलक्टर उदयपुर के आवंटन आदेश में आराजी नम्बर 404 मी. रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा एवं सेवहन से 868 के बजाय 808 मी. रकबा 10 बीघा आवंटन के आदेश पारित किये है जबकि आवेदन पत्र से स्पष्ट है कि विद्यालय द्वारा भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र के आराजी नम्बर 808 मी. का कही कोई उल्लेख नहीं किया हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि आवंटन आदेश में 868 मी. के बजाय टंकन त्रुटि से 808 मी. हो गया हैं। अतः उक्त तनकी वादीगण अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहे हैं। अतः उक्त तनकी को वादीगण के विरूद्व आंशिक निर्णित की जाती हैं।

5. आया वादीगण का आधिपत्य नम्बर 403, 404 व 868 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा पर होने से वे इसे अपने नाम घोषित कराने के अधिकारी हैं।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर रहा। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में गत सेटलमेन्ट की नकल प्रस्तुत

की हैं। प्रकरण में आराजी नम्बर 403 वादीगण के नाम दर्ज है जबकि आराजी नम्बर 404 व 868 मिलान खसरा में बिलानाम दर्ज है जिस पर विशेष विवरण में किसी भी कब्जेदार का कब्जा नहीं हैं व पटवारी हल्का बोयणा की रिपोर्ट दिनांक 29.10.91 प्रदर्श ए1 से भी किसी का भी कब्जा नहीं होने का कथन किया है एवं विद्यालय के आंवटन हेतु आवेदन पत्र प्रदर्श 15 के अवलोकन से भी पटवारी हल्का द्वारा किसी का कब्जा नहीं होने का कथन स्पष्ट रूप से अंकित किया हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि आराजी नम्बर 404 व 868 पर वादीगण का कब्जा नहीं हैं। उक्त तनकी को पूर्ण रूप से वादीगण अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहे हैं। अतः उक्त तनकी को वादीगण के विरूद्व आंशिक निर्णित की जाती हैं।

6. आया प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जे में बाधा उत्पन्न किया जाने से वादीगण निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर रहा। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। जिससे यह साबित हो कि प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे मे दखलन्दाजी कर रहे हैं। चूंकि तनकी सं. 5 से यह स्पष्ट है कि आराजी नम्बर 403 के अलावा अन्य आराजीयात 404 व 868 पर वादीगण का कब्जा नहीं हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण के कब्जे में दखलन्दाजी करने का कोई प्रश्न ही नहीं हैं। अतः उक्त वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती हैं।

7. आया वाद मियाद बाहर हैं।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर रहा। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावें के समर्थन में उक्त वादीगण के वाद के मयाद बाहर होने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई तथ्य स्पष्ट नहीं किया हैं जिससे तनकी को प्रतिवादीगण के पक्ष में साबित की जा सके। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती हैं।

8. आया दिनांक 25.11.1976 का फैसला एबईनिशियों वॉईड हैं।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर रहा। प्रतिवादीगण द्वारा अपनी लिखित बहस में बताया कि उप जिलाधीश वल्लभनगर का निर्णय दिनांक 25.11.1976 को हुआ है जो प्रदर्श 10 हैं। जिसके मयाद की अवधि 12 वर्ष होती हैं। 12 वर्ष के अन्दर–अन्दर वादीगण द्वारा कोई पालना नहीं कराई हैं। भू. प्रबन्ध अधिकारी उदयपुर के निर्णय

दिनांक 21.03.2002 जो प्रदर्श ए2 से भी अपील सं. 03/02 स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर के निर्णय दिनांक 25.11.1976 को निरस्त कर दिया गया हैं। ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय स्वतः ही निरस्त होने से उक्त तनकी प्रतिवादीगण अपने पक्ष में साबित कराने में सफल रहे हैं। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

30. हमने उक्त तनकीयों के विवेचन से इस निष्कर्ष पहुंचे है कि वादीगण द्वारा अपनी भूमि जो आराजी नम्बर 403 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि वर्तमान में वादीगण के नाम पर दर्ज हैं। जिसके गत सेटलमेन्ट नम्बर 445 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा थे जो गत जरीब 152.5 के हिसाब से थी जो वर्तमान नम्बर अनुसार 7 बीघा 15 बिस्वा बनना बताया है। इस आधार पर वादीगण के खाते 2 बीघा भूमि कम होने व उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा भी निर्णय दिनांक 25.11.1976 से वादीगण के नाम 2 बीघा भूमि दर्ज करने के आदेश होने से घोषणा का यह वाद प्रस्तुत किया हैं। वादीगण द्वारा आराजी नम्बर 403, 404 व 868 के 7 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर अपना खातेदारी अधिकार दिये जाने का निवेदन किया है जबकि वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके की आराजी नम्बर 445 से टुटकर आराजी नम्बर 404 व 868 बने हों। तनकियों के विवेचन एवं दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आराजी नम्बर 404 व 868 पर प्रतिवादी सं. 2 विद्यालय का कब्जा हैं। उक्त भूमि विद्यालय को जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा आवंटन किया गया हैं। उक्त भूमि को आवंटन बाबत् विद्यालय द्वारा आवंटन आवेदन पत्र प्रदर्श 15 से आराजी नम्बर 404 मी. व 868 मी. को आवंटन हेतु आवेदन किया गया था परन्तु सेवहन से 868 मी के बजाय 808 मी. का अंकन हो गया। परन्तु रिपोर्ट, एवं कब्जे के आधार पर अमल दरामद 868 मी. पर ही किया गया हैं। उक्त निर्णय की अपील वादीगण के वारिसों द्वारा आर.ए.ए. उदयपुर के यहां की गई जिसके निर्णय दिनांक 21.03.2002 प्रदर्श ए2 से न्यायालय आर.ए.ए. द्वारा उक्त त्रुटि को मानते हुए 808 के बजाय 868 माना है तथा अपील को खारिज कर आवंटन आदेश दिनांक 12.03.1992 को यथावत् रखा हैं।

31. वादीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर के निर्णय दिनांक 25.11.9.1976 के आधार पर भी 2 बीघा भूमि को खातेदारी अधिकारी दिया जाने का भी निवेदन किया है जबकि उक्त निर्णय दिनांक 25.11.1976 को आर.ए.ए. उदयपुर के निर्णय दिनांक 21.03.2002 प्रदर्श ए2 से निरस्त कर दिया गया हैं, जिससे उक्त

निर्णय का कोई औचित्य नहीं हैं। परन्तु देखने का प्रश्न यह है कि यदि वादीगणों का कब्जा 2 बीघा पर शुरू से ही था एवं उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा भी निर्णय दिनांक 25.11.1976 से वादीगण के नाम दर्ज करने के आदेश दे दिये गये उसके बावजूद भी वादीगणों द्वारा उपखण्ड अधिकारी के निर्णय की पालना वर्ष 2000 से पूर्व क्यों नहीं करवाई यह भी अपने आप में वादीगणों के कब्जे को लेकर संदेह पैदा करता हैं। जिस आराजी नम्बर 404 व 868 मी. पर कब्जे की बात वादीगण अपने वाद पत्र के कथनों में की गई हैं जबकि उसी आराजी पर प्रतिवादी सं. 2 के आवेदन पर मौका रिपोर्ट तैयार कर पटवारी द्वारा कब्जे की जांच के उपरान्त ही आवटंन की कार्यवाही की गई हैं एवं भूमि प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज हैं। वर्तमान में उक्त भूमि पर विद्यालय होकर खेल मैदान बना हुआ हैं। वादीगण के आराजी नम्बर 403 से स्कूल की आराजी नम्बर 868 पर आने के लिये आराजी नम्बर 383 मे से होकर आना पडता हैं। इससे यह स्पष्ट है कि वादीगण के गत आराजी नम्बर 445 से टुटकर आराजी नम्बर 868 नहीं बना हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2019 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास मोहन सिंह, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री नाहरसिंह पिता सवसिंह राव राजपुत निवासी मादडी आसोलियान तह. मावली।
2. श्री चतरसिंह पिता सवसिंह राव राजपुत निवासी मादडी आसोलियान तह. मावली।
3. श्री खुमाणसिंह पिता सवसिंह राव राजपुत निवासी मादडी आसोलियान तह. मावली।
4. श्री प्रतापसिंह पिता सवसिंह राव राजपुत निवासी मादडी आसोलियान तह. मावली।
5. श्री भवानीसिंह पिता सवसिंह राव राजपुत निवासी मादडी आसोलियान तह. मावली।
6. श्री मानसिंह पिता सवसिंह राव राजपुत निवासी मादडी आसोलियान तह. मावली।
7. श्री धुलसिंह पिता माधुसिंह राव राजपुत निवासी मादडी आसोलियान तह. मावली (मृतक) के बजाय :–

7/1 श्री गोविन्दसिंह पुत्र
7/2 श्रीमती वसन कुंवर पुत्रवधु
7/3 श्री इन्द्रसिंह पुत्र
7/4 श्री देवीसिंह पुत्र
7/5 श्री हरिसिंह पुत्र
7/6 फुलवन्ती कुंवर पुत्री
7/7 राजुबाई पुत्री

8. श्री मनोहरसिंह पिता अर्जुनसिंह राव राजपुत मृतक के बजाय :–

8/1 श्री किशनसिंह पुत्र
8/2 श्रीमती पुष्पाबाई पत्नी स्व. श्री मदनसिंह पुत्र वधु
8/3 शैलेन्द्रसिंह पुत्र स्व. मदनसिंह पोत्र
8/4 श्रीमती ताराकुंवर पत्नी हिम्मतसिंह राजपुत निवासी संतढुंढिया तहसील गंगापुर पोत्री
8/5 श्रीमती सुशीला कुमारी पत्नी महेन्द्रसिंह राजपुत निवासी नानाणा तह. जवाली जिला पाली पोत्री।
8/6 सुश्री चिकु कुंवर पुत्री मदनसिंह पोत्री नाबालिग
8/7 श्री रायसिंह पिता मनोहरसिंह पुत्र
8/8 श्रीमती दरियाकुंवर पत्नी बाघसिंह निवासी बीडघास तह. मावली पुत्री

9. श्री सज्जनसिंह पिता जयसिंह राव राजपुत मृतक के बजाय :–

9/1 श्री नरपतसिंह पुत्र
9/2 श्रीमती राजबाई विधवा
9/3 रूकमण कुंवर
9/4 वनकुंवर
9/5 लीलाकुंवर

10. श्री मानसिंह पिता जयसिंह राजपुत सभी निवासीयान मादडी आसोलियान तह. मावली।

............वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर उदयपुर।
2. राजकीय माध्यमिक विद्यालय मादडी आसोलियान जरिये प्रधानाध्यापक रा.मा. वि. मादडी आसोलियान तह. मावली।
3. श्री सुरजसिंह पिता कालुसिंह राव राजपुत निवासी मादडी आसोलियान तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 90/02 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मोहन सिंह R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि:–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 16.09.2019 को जारी की गई।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली